ब्राध्यक्ष महोदय: "शेम" का क्या सवाल है ? कुछ हद होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए कुछ रिगार्ड होना चाहिए। क्या यह कोई कायदा है ? (ब्यब्धान)

भी मधु लिमये : क्या प्रधान मंत्री हम लोगों का लिहाज करती हैं ? उनका इस तरह चले जाना कोई कायदा है ? (व्यवचान)

एक मान रीय सदस्य : प्रधान मंत्री को बुलाया जाये । (व्यवधःन)

एक भागनीय सबस्य : उन को हाउस से माफ़ी मांगनी चाहिए । (ज्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात दुरुस्त नहीं है कि जब मैं इधर देख रहा हूं और बोल रहा हूं, तो पांच छ: मेम्बर इकट्ठे खड़े हो कर इस तरह बोलें। यह भी हाउस की अवहेलना है और चेयर की अवहेलना है।

कुछ माननीय सबस्य : शेम, शेम ।

भ्रष्यका महोदय : मैं डा॰ लोहिया के सवाल का जवाब देना चाहता हुं कि मेरी तरफ़ से प्राइम मिनिस्टर को कोई खास श्रिधकार देने का सवाल पैदा नहीं होता है। डा० लोहिया ने कहा है कि कांस्टीट्युशन के **भ**नुसार प्राइम मिनिस्टर को कोई खास, विशेष अधिकार नहीं हैं कि जिसकी वजह से किसी दूसरे को रुकना पड़े-कांस्टीट्युशन के मुताबिक उन को कोई ऐसी फ़ैसिलिटी नहीं मिली हुई है, जिसका वह इस्तेमाल करें। माननीय सदस्य चाहते हैं कि मैं इस बारे में भपना फ़ैसला दुं कि भाया उनको यह भिषकार है या नहीं। उन्होंने मुझे यह भी कहा है कि मैं उनको कोई प्रधिकार न दूं। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह मेरा काम नहीं है कि मैं कांस्टीट्यूशन का तर्जुमा करूं ब्रोर यह फ़ैसला करूं कि कस्टिट्यूजन के मताबिक प्राइम मिनिस्टर को यह प्रधिकार है या नहीं। भ्रगर वह समझते हैं कि उनको कोई प्रधिकार है या नहीं है, तो यह उनकी राय हो सकती है। लेकिन यह फ़ैसला देना कि भ्राया उनको कोई भ्रष्टिकार है या नहीं, यह कोर्ट का काम होगा। प्रगर डा० लोहिया 2979 (Ai) LSD-5

यह समझते हैं कि कांस्टीट्य्शन की स्पिरिट या लेटर या कोई चीज भंग हुई है, तो वह कोर्ट में जा कर फ़ैसला ले सकते हैं। मैं कोई फ़ैसला नहीं दे सकता हूं। मैं नहीं समझता हूं कि कोई बीच माफ़ प्रिविलेज हुमा है।

डा॰ राम मनोहर लोहिया: ग्रध्यक महोदय, . . . (श्यवचान)

Shri Hari Vishnu Kamath: Will the Leader of the House express regret for what has happened? That is the least that he can do.... (Interruptions).

The Minister of Parliamentary Affairs and Communications (Shri Satya Narayan Sinha): My own impression is perhaps she did not notice that you were standing. But I am certainly sending word to her as to what the House has felt. She might come and express regret to the House.

भी यशपाल सिंह (कैराना) : घड्यक महोदय, घाप ही इंस हाउस की सर्यादा का रक्षण कर सकते हैं—गौर कोई नहीं कर सकता है (ज्यवचान) ।

डा॰ राम मनोहर लोहिया : ग्रध्यक्षं महोदय,...(ब्यवधान)

भी यशपाल सिंहः जब तक प्रधान मन्त्री जी यहां न मायें, इस हाउस की कार्यवाही बन्द रखी जाये । उन्होंने इसे हाउस की मबहेलना की है, स्पीकर साहब की मबहेलना की है। स्पीकर साहब के सिवा भीर कोई हमें रक्षण नहीं दे सकता है। (व्यवचाल)

चन्यक्ष महोदय : भाईर, भाईर । श्री फचरुद्दीन भ्रहमद ।

12.46 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE
BUDGET ESTIMATES OF DAMODAR VALLEY
CORPORATION

The Minister of Irrigation and Fewer (Shri Fakhruddin Ahmed): I beg to lay on the Table a copy of the Budget Estimates of the Damodar Valley Corporation for the year 1966-67, under sub-section (3) of section 44 of the Damodar Valley Corporation

Act, 1948. [Placed in Library. See No. LT-5871/66].

Annual Report on working of Industrial and Commercial Undertakings of Central Government

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the working of Industrial and Commercial Undertakings of the Central Government for the year 1964-65. [Placed in Library. See No. LT-5872[66].

Delin Sales Tax (Amendment) Rules 1966, Notifications under Customs Act, 1962, etc.

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri B. R. Bhagat): I beg to lay on the Table—(1) A copy of the Delhi Sales Tax (Amendment) Rules 1966 published in Notification No. F. 3(6)/65-Fin. (E) in Delhi Gazette dated the 10th March, 1966 under sub-section (4) of section 26 of the Bengal Finance (Sales Tax) Act, 1941, as in force in the Union Territory of Delhi. [Placed in Library. See No. LT-5873[66].

- (2) A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962:
 - The Denatured Spirit (Ascertaining and Determining) Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 281 in Gazette of India dated the 26th February, 1966.
 - (ii) G.S.R. 294 published in Gazette of India dated the 1st March, 1966.
 - (iii) G.S.R. 295 published in Gazette of India dated the 1st March, 1966.
 - (iv) G.S.R. 296 published in Gazette of India dated the 1st March, 1966.
 - (v) G.S.R. 320 published in Gazette of India dated the 5th March, 1966.
 - (vi) G.S.R. 321 published in Gazette of India dated the 5th March, 1966.

- (vii) The Manufacture in Customs Bond (General) Fourth Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 322 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.
- (viii) The Manufacture in Customs
 Bond (General) Third
 Amendment Rules, 1966 published in Notification No.
 G.S.R. 323, in Gazette of India
 dated the 5th March, 1966.
- (ix) G.S.R. 324 published in Gazette of India dated the 5th March, 1966. [Placed in Library. See No. LT-5874/66].
- 3. A copy each of the following Notifications under section 159 of the Customs Act, 1962 and section 38 of the Central Excise and Salt Act, 1944.
 - (i) Th Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirtieth Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 313 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.
 - (ii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-first Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 314 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.
 - (iii) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-second Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 315 in Gazette of India dated the 5th March, 1966.
 - (iv) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-third Amendment Rules, 1966 published in Notification No. G.S.R. 316 in Gazette of India dated the 5th March, 1966
 - (v) The Customs and Central Excise Duties Export Drawback (General) Thirty-fourth Amendment Rules, 1966 published in Notification No.